जबलपुर | गुरुवार | 6 अगस्त 2026 | वर्ष 77 | अंक 194 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

1934 से

10 सदस्यीय समिति भंग

1 भोपाल में रिहायशी इलाकों के व्यावसायिक उपयोग पर सुको सख्त | 2 राज्य सरकार और नगर निगम को लगाई फटकार, हाईकोर्ट के राहत आदेश निरस्त | 3 निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी

नई दिल्ली/भोपाल, 05 अगस्त. भोपाल के रिहायशी इलाकों में वर्षों से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण और नगर नियोजन नियमों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार और भोपाल नगर निगम के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया.

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय समीक्षा समिति को भंग करते हुए स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के समानांतर किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया या समिति के जरिए न्यायिक आदेशों के क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं किया जा सकता. अदालत ने मामले में राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से पेश की गई रिपोर्टों पर भी नाराजगी जताई तथा कहा कि न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन राहत आदेशों को भी निरस्त कर दिया, जो विभिन्न दुकान संचालकों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से प्राप्त हुए थे. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं मामले की निगरानी कर रहा है, तब समानांतर राहत या ऐसी प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं होगी, जिससे कार्रवाई प्रभावित हो.

कार्रवाई का व्यापारिक संगठनों ने किया था विरोध

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सीलिंग अभियान शुरू किया था. इस कार्रवाई का व्यापारिक संगठनों ने विरोध किया. व्यापारियों का तर्क था कि वर्ष 2005 के बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने और पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण बड़ी संख्या में कारोबारियों को आवासीय परिसरों से व्यवसाय संचालित करना पड़ा.

मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है. यह पूरा विवाद राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, रोहित नगर, 10 नंबर मार्केट, बावड़ियाकलां सहित कई ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा है, जिन्हें मास्टर प्लान और नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत आवासीय क्षेत्र घोषित किया गया है. आरोप है कि इन क्षेत्रों में वर्षों से आवासीय भवनों का उपयोग दुकानों अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, होटल, शोरूम और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

मेटा के को फाउंडर ने मांगी माफी

मोदी पोस्ट विवाद में मेटा ने मानी बड़ी चूक

नई दिल्ली, 05 अगस्त. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में मेटा ने भारत सरकार के सामने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, आईटी मंत्रालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की ओर से यह संदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाया जाना तकनीकी चूक थी और कंपनी इस घटना पर खेद व्यक्त करती है.

जुकरबर्ग ने माना कि कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए गए

मार्क जुकरबर्ग ने ये भी स्वीकार किया कि पैसे लेकर पोस्ट को कई हिंसात्मक फैक्ट वाले वीडियो को प्रमोट किया था. जुकरबर्ग ने माना कि कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया था. उन्होंने माफी मांगी और गलती पर अफसोस जताया है. मार्क जकरबर्ग ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल कंटेंट, डीपफेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी.

बुधवार को केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी सचिव एस. कृष्णन के साथ हुई बैठक में मेटा की वैश्विक टीम का नेतृत्व कंपनी के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कैपलान ने किया.

बैठक पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटने के बाद सरकार द्वारा जारी समन के क्रम में आयोजित की गई. मेटा चीफ ने प्लेटफॉर्म चलाने में हुई गलतियों को लेकर भी माफी मांगी है. यह दूसरी बार है जब मार्क जकरबर्ग की ओर से माफी मांगी गई है. इससे पहले जनवरी 2025 में भी संसदीय समिति के सामने मेटा अधिकारियों ने माफी मांगी थी.

पाकिस्तान चाहता था सीजफायर

ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा : पूर्व सीडीएस चौहान

नई दिल्ली, 05 अगस्त. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सैन्य अभियान से जुड़ी रणनीति और घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के दौरान सीजफायर की पहल पाकिस्तान की ओर से हुई थी, जबकि उस समय भारतीय सेना अपने निर्धारित सैन्य लक्ष्यों का पूरा हिस्सा अभी हासिल नहीं कर पाई थी.

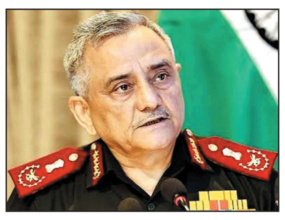

जनरल चौहान ने एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान बताया कि 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान ने डीजीएमओ हॉटलाइन के माध्यम से भारत से संपर्क किया था. उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे कुछ घंटे पहले तक पाकिस्तान की ओर से आक्रामक बयान दिए जा रहे थे. लेकिन इसके बाद उसने खुद बातचीत की पहल की.

> पूर्व डीजीएमओ के अनुसार, भारत ने तुरंत युद्धविराम पर सहमति नहीं जताई और अपनी योजना के अनुसार सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों का उद्देश्य केवल प्रतिक्रिया देना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना था कि उसके किसी भी सैन्य ठिकाने को भारत निशाना बना सकता है. उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के पास युद्धक्षेत्र की सटीक और वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध थी. कमांडरों के पास एक साझा तस्वीर थी, जिसके आधार पर तेजी से फैसले लिए गए.

विशेष सत्र बुलाने जा रही सरकार!

परिसीमन और महिला आरक्षण पर विधेयक होंगे पेश

नई दिल्ली, 05 अगस्त. संसद के मानसून सत्र के समापन के बाद केंद्र सरकार द्वारा तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाए जाने पर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार सरकार 16, 17 और 18 अगस्त को विशेष सत्र आयोजित करने की संभावना पर विचार कर रही है. इस दौरान परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किए जा सकते हैं. हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हो चुकी है.

रिजिजू ने राहुल गांधी से की मुलाकात

इसी क्रम में किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार करीब 50 मिनट चली बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं. बैठक में संसद के मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के साथ-साथ परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संविधान संशोधन विधेयकों पर चर्चा हुई. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने इन विधेयकों पर तत्काल समर्थन का आश्वासन नहीं दिया और पहले अन्य विपक्षी दलों से विचार-विमर्श की बात कही. सरकार की रणनीति संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत सुनिश्चित करने पर केंद्रित बताई जा रही है.

वहीं, राज्यसभा ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढाकर 37 किये जाने से संबंधित उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को बुधवार को विपक्ष के बहिर्गमन के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया.

बिना चर्चा पारित हुआ बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़ा नया विधेयक

नई दिल्ली, 05 अगस्त. लोक सभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया.

डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी आधार देगा नया कानून

एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे शुरू होने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्य 20 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच की मांग करते हुए हंगामा करने लगे थे. हंगामे के बीच ही पीठासीन जगदम्बिका पाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चर्चा के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति दी. इसके बाद उन्होंने विधेयक में संशोधन के नोटिस देने वालों के नाम पुकारे.

This pictorial representation of map of India does not purport to be the political map of India. Map not to scale.

FAST-TRACKING GROWTH
BY SERVING INDIA'S
EVER-GROWING
EV MARKET.

As one of *India's leading electrical and electronic companies,* we are future-driven.

- One of India's leading electrical & electronics (E&E) companies.*
- One of India's top 2 players in wiring harnesses for two & three wheelers.*
- A diversified presence across multiple end markets, including commercial vehicles, off-highway vehicles, farming & industrial equipment.
- 22 manufacturing facilities, 3 engineering and design support centers & 7 warehouses across India and globally.**
- Providing access to major automotive clusters both in India & the world over.

*Source: CRISIL Report | ** As of March 31, 2026

DHOOT TRANSMISSION
Harnessing Safety, Electrifying The Future

Dhoot Transmission Limited
www.dhoottransmission.com

DHOOT TRANSMISSION LIMITED, is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP dated August 3,2026 with the RoC. The RHP and Abridged Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.dhoottransmission.com and on the websites of the BRLMs, i.e. Axis Capital Limited, Jefferies India Private Limited, Kotak Mahindra Capital Company Limited, Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited, SBI Capital Markets Limited and 360 ONE WAM Limited at www.axiscapital.co.in, www.jefferies.com, https://investmentbank.kotak.com, www.nomuraholdings.com/company/group/ asia/india/index.html, www.sbicaps.com and www.360.one, respectively. Any potential Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "***Risk Factors***" on page 24 of the RHP. Potential Bidders should not rely on the UDRHP-I filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, when filed, for making an investment decision.
The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") or any other applicable law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (a) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act and referred to in the RHP as "**U.S. QIBs**"; for the avoidance of doubt, the term "**U.S. QIBs**" does not refer to a category of institutional investor defined under applicable Indian regulations and referred to in the RHP as "QIBs") in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act; and (b) outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act ("**Regulation S**") and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made.
It is to be distinctly understood that the permission given by Stock Exchanges should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by Stock Exchanges nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the Disclaimer Clause of NSE and BSE Limited.

Adfactors 230/26 D